महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बिन्दुवार नोट

.....

- महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा स्वतंत्र रूप से 01.04.1992 से कार्य करना प्रारम्भ किया।
- वर्श 1992–93 में विभाग का बजट 29.41 करोड़ रू0 व वर्श 2019–20 में 1496.98 करोड़ रू0।
- माह अक्तूबर, 2019 तक 620.80 करोड, रूपये की राषि व्यय।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

- कार्यक्रम का षुभारम्भ 22 जनवरी 2015
- **उद्देष्य –** लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मकता, षिक्षा और पोशण देने के लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन।
- सरकार द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी और एम.टी.पी. एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ **726** एफ.आई.आर. दर्ज ।
- **370815** जागरूकता रैलियां, **723993** लड़कियों के जन्म दिवस/लोहडी कार्यक्रम, **70743** नुक्कड नाटक/लोक कला का आयोजन, आंगनवाड़ियों मे **31172** गुडडा–गुडडी बोर्ड, **46429** फिल्मों का आयोजन, **228315** प्रभात फेरियां, **36527** कठपुतली षो, **1174781** हस्ताक्षर अभियान, **365045** स्वास्थय कैम्प/बेबी षो का आयोजन किया गया।
- हरियाणा में षिषु लिंगानुपात जो **वर्श 2011** की जनगणना अनुसार **830** था **वर्श 2018** में बढ़कर **914** तक पहुँच गया है व **अक्तूबर, 2019** तक **919** हो गया है।
- भारत सरकार द्वारा राज्य को विभिन्न अवार्डों से सम्मानित किया गया जिनका ब्यौरा निम्न हैः–

क्रं0सं0	वर्श	ब्यौरा
1.	08.03. 2016	जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार।
2.	24.01. 2017	जिला यमुनानगर को बालिका षिक्षा क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए।
3.	08.03. 2018	जिला सोनीपत को पी.सी.पी.एन.डी.एक्ट को लागू करने के लिये।
4.	24. 012019	1ण हरियाणा राज्य को सर्वांगीण सहायता, मार्गदर्षन, मोनीटरिंग श्रेणी के तहत। 2ण करनाल जिले को इफेक्टिव कम्युनिटि एंगेजमैंट के लिए। 3ण झज्जर को एनेबलिंग गर्ल चाईल्ड एजूकेषन के लिए। 4ण कुरूक्षेत्र को पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट को सही ढंग से लागू करने के लिए।
5.	07.08. 2019	हरियाणा राज्य के जिला महेन्द्रगढ़ और भिवानी को पिछले 5 वर्शों में जन्म के समय लिंग अनुपात में उत्कृश्ट प्रदर्षन के लिए सम्मानित किया जायेगा।

पोशण अभियान

- पोशण अभियान का षुभारम्भ 8 मार्च 2018, दिसम्बर, 2018 से राज्य के सभी जिलों में लागू ।

➢ **लक्ष्य**

❖ 0–6 वर्श की आयु के बच्चों, किषोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोशण स्तर में सुधार।

❖ प्रोद्योगिकी, अभिसरण और समुदाय की भागीदारी के साथ बच्चों में पोशण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन को कम करने का प्रयास।

❖ किषोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माता पर समग्र रूप से कुपोशण को संबोधित करते हुए धन प्रबंधित करना।

- सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों का प्रत्येक महीने के 8 वें व 22 वें दिन आयोजन।
- ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोशण दिवस का महीने के 15 वें दिन आयोजन।
- प्दबतमउमदजंस स्मंतदपदह ।चचतवंबी प्रषिक्षण के लिए 21 मॉड्यूल विकसित।
- राज्य स्तर पर 1–10 मॉड्यूल व जिला स्तर पर 1–6 मॉड्यूल बारे में प्रषिक्षण।
- आंगवाड़ी केन्द्रों के लिए ग्रोथ मोनिट्रिंग उपकरणों की खरीद।
- राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर अभिसरण कमेटी गठित।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- भारत सरकार द्वारा योजना का षुभारम्भ 01.01.2017 से राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी जिलों में लागू।
- योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5000 रू0 की राषि तीन किस्तों में देने का प्रावधान–
  - पहली किस्त (गर्भावस्था के षीघ्र पंजीकरण पर)
  - दूसरी किस्त (प्रसव के 6 महीने बाद)
  - तीसरी किस्त (बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर) मातृ तथा षिषु स्वास्थ्य संबंधी कुछ षर्तो को पूरा करने तथा गर्भावस्था तथा स्तनपान की अवधि के दौरान माताओं/महिलाओं के लिए मजदूरी नुकसान की भरपाई करने हेतू दी जाती है।
- योजना के तहत अब तक **135.44 करोड़** रूपये की राषि व्यय कर **315609 लाभपात्रों** को कवर किया गया है।
- जिला यमुनानगर और पंचकूला को भारत के उतरी क्षेत्र में से बेहतरीन उपलब्धि के लिये राश्ट्रीय स्तर पर दिनांक 07.09.2018 को सम्मानित।

आंगनवाड़ी सहयोग कार्यक्रम–हमारी फुलवारी

- योजना का उद्देष्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को और अधिक आकर्शित, बाल–सुलभ, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण करवाना तथा आधुनिक षैली में परिवर्तित करना।
- **882** आंगनवाड़ी केन्द्रों को विभिन्न संस्थाओं जैसे कि पंचायत, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत, सिविल संस्थाये व कॉरपोरेट सैक्टर द्वारा गोद लिया गया व विभिन्न वस्तुओं का योगदान।

हरियाणा कन्या कोश

- योजना का षुभारम्भ 22.1.2015 ।
- यह कोश हरियाणा की लड़कियों व महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित।

- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस कोश की राषि को प्रतिबंध किया।
- अब तक इस कोश के अन्तर्गत 69.88 लाख रू0 की राषि जमा, जिसमें से 52.41 लाख रू0 की राषि व्यय।
- इस कोश के पंजीकरण प्रमाण पत्र पर आयकर विभाग द्वारा सैक्षन 12।। तथा सैक्षन 80 जी0 के तहत छूट।

आपकी बेटी – हमारी बेटी

- घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने के उद्देष्य से योजना लागू।
- योजना के अन्तर्गत 22.01.2015 या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21000/– रू0 तथा सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21000/– रू0 की राषि और दिनांक 24–08–2015 से इस स्कीम के अन्तर्गत परिवार में जन्मी तीसरी बेटी को भी दूसरी बेटी की तर्ज पर कवर किया जा रहा है।
- यह राषि भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेष की जाती है तथा बालिका को 18 वर्श की आयु होने पर लगभग 1.00 लाख रू0 उसके उपयोग के लिए दी जायेगी।
- अब तक **196306** लाभपात्रों को कवर किया जा चुका है।
- वर्श 2019–20 के दौरान योजना के तहत 17000.00 लाख रू0 की राषि का प्रावधान था जिसमें से मास अक्तूबर, 2019 तक **9732.141 लाख रू0** की राषि खर्च की गई।
- वर्श के दौरान अक्तूबर, 2019 तक **34250** लाभपात्रों को कवर किया जा चुका है।

सुकन्या समृद्वि योजना

- योजना का षुभारम्भ 22.01.2015।
- **उद्देष्य**– असंतुलित लिंगानुपात की समस्या से निपटना तथा लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना।
- योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्श तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। वित्त वर्श के दौरान 1000 रूपये की राषि से खाता खोला जा सकता है तथा निवेष के लिये अधिकतम राषि 1,50,000 रूपये है।
- योजना के तहत अक्तूबर, 2019 तक डाकघरों में **482188** खाते खुलवाये जा चुके हैं।

वन स्टॉप केन्द्र ''सखी''

- हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्व तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधायें जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से वन स्टॉप केन्द्र के सभी जिलों में स्थापना।
- स्कीम के अन्तर्गत राज्य में **5023** केसों का निपटान।

बच्चों से सम्बन्धित योजनाएं

1 **समेकित बाल विकास सेवाएं योजना (आई.सी.डी.एस.)**
परियोजनाएं– 148 (127 ग्रामीण + 21 षहरी)
आंगनवाड़ी केन्द–25962 (512 मिनी + 25450 आंगनवाड़ी केन्द)।

➢ **उद्देष्य**

1 6 वर्श की आयु तक के बच्चों की पोशण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।

2 बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, षारीरिक और सामाजिक विकास के लिये नींव रखना।

3 मृत्युता, मानसिक अस्वस्थता, कुपोशण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।

4 बाल विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विभागों के बीच नीति और कियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।

5 उचित पोशाहार और स्वास्थ्य षिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौश्टिक आवष्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

- **सेवाएं**

1 पूरक पोशहार, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखरेख, सन्दर्भित सेवांए, अनौपचारिक स्कूल पूर्व षिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोशाहार षिक्ष

आंगनवाड़ी केन्द्र

आंगनवाड़ी केन्द्रों की लोकेषन

कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र	सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र				गैर सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र		
	विभागीय भवनों में	सरकारी भवनों में	स्कूलों में	कुल	समुदायिक भवनों में	किराये के भवनों में	कुल
25962	8296	2389	2390	13075	6275	6612	12887

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रो में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध करवाई गई है:–

- **16616** आंगनवाड़ी केन्द्रों में आर्कशक एवं रंगदार मेज व कुर्सियां (4 मेज व 16 कुर्सियां प्रति केन्द्र) **19.65 करोड़ रू0** की लागत से सप्लाई।
- **21375** आंगनवाड़ी केन्द्रों मे झूले तथा **25962** आंगनवाडी केन्द्रों में सुपर स्लाईड़ सीनियर 16.94 करोड़ रू0 की लागत से सप्लाई।
- सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में गैस कनैक्षन उपलब्ध करवाये गये।
- बिजली की व्यवस्था– **11559** केन्द्रों में।
- षौचालय की व्यवस्था–**23384** केन्द्रों में।
- पानी की व्यवस्था–**20460** केन्द्रों में।
- 9500 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए भ।त्व। को 2042.50 लाख रूपये की राषि जारी जिसमें से 4451 को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ा जा चुका है तथा इस के तहत केन्द्र में 3 एल0ई0डी0 लाईट तथा 2 पंखों की व्यवस्था की गई।
- वर्तमान में एक आंगनवाड़ी भवन का निर्माण 9.95 लाख रू0 की लागत से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिशद् द्वारा करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिये संसाधनों की वृद्वि हेतु आर.आई.डी.एफ. –स्कीम के तहत नाबार्ड से 2533 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 224.00 करोड़ रू0 की सहायता प्राप्त की है। राज्य सरकार द्वारा वर्श 2018–19 तक 8318 आगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 67728.31 लाख रू0 की राषि व्यय की जा चुकी है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 5512.50 लाख रू0 भी षामिल है। वर्श

2019–20 के बजट में 14566.15 लाख रूपये की राषि का प्रावधान किया गया है। वर्श 2018–19 के दौरान त्क्थ्ग् तथा डम्छत्म्ळ। के तहत 848 भवनों के निर्माण के लिए 5202.60 लाख रूपये की राषि जारी की गई है।

पूरक पोशाहार कार्यक्रम

		वित्तीय नामर्ज
• 0–6 वर्श के बच्चे	8.30 लाख	8 रू0 प्रतिदिन
• माताएं (गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली)	2.60 लाख	9.50 रू0 प्रतिदिन
• अति कुपोशित बच्चो की संख्या	5448	12 रू0 प्रतिदिन

सूक्ष्म तत्वों की कमी की पूर्ति हेतु **फोर्टीफाईड तेल, नमक व पंजीरी** एंव 6 जिलों में **फोर्टीफाईड आटा** दिया जा रहा है।

- **पूरक पोशाहार**– पंजीरी, आलू–पूरी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया, गुलगुले, चना मुरमरा तथा मुंगफली मिक्चर दिये जा रहे हैं।

आई0सी0डी0एस0 कार्यकताओं हेतु प्रषिक्षण कार्यक्रम

- प्रषिक्षण देने के लिए राज्य में कुल 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रषिक्षण (8 हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिशद द्वारा तथा दो प्रषिक्षण केन्द्र कस्तूरबा गांधी राश्ट्र स्मारक निधि द्वारा रादौर में चलाए जा रहे हैं)।
- वूमैन एवैयरनैस एण्ड मैनेजमैट अकादमी (वामा), राई जिला सोनीपत के माध्यम से आई0सी0डी0एस सुपरवाईजरों के लिए एक मध्य स्तरीय प्रषिक्षण केन्द्र भी चलाया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ताओं के लिये ैज्त्।च योजना तैयार करके प्रत्येक वर्श भारत सरकार को भेजी जाती है। भारत सरकार से जो अनुदान राषि प्राप्त होती हैं वह प्रषिक्षण केन्द्रों को जारी की जाती है।

अनौपचारिक पूर्व स्कूली षिक्षा के तहत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र

- समेकित बाल विकास सेवांए योजना के तहत 3 से 6 वर्श तक के बच्चों को पूर्व स्कूली षिक्षा प्रदान की जाती है।
- 6 वर्श उपरांत जो बच्चे आंगनवाडी छोड कर किसी अन्य स्कूल में दाखिला लेते हैं को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें उन द्वारा प्राप्त अनौपचारिक पूर्व स्कूली षिक्षा बारे विवरण अंकित किया जाता है।
- वर्तमान वर्श मई 2019 तक 217905 बच्चों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र छोड़ा गया तथा इनमें से 745765 बच्चों को पूर्व स्कूल षिक्षा प्रमाण पत्र जारी किया।

षिषु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना

- बच्चों में कुपोशण को समाप्त करने के लिए षिषु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार हेतू वर्श 2005–06 से योजना लागू जिसके अन्तर्गत राज्य में सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस विशय पर प्रषिक्षण दिया जाता है
- वर्श 2019–20 के बजट में 20.00 लाख रूपये की राषि का प्रावधान किया गया है जिसमें से माह अक्तूबर तक 13.150 लाख रूपये की राषि खर्च की जा चुकी है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन।
- वर्श 2019–20 के बजट में 70.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से माह अक्तूबर तक 31.50 लाख रूपये की राषि खर्च की जा चुकी है।

2. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0)

- यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्षन सोसायटी के माध्यम से चलाया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट तथा स्टेट अडोपषन रिसोर्स एजेन्सी की स्थापना।
- जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षण यूनिट तथा जिला बाल संरक्षण समिति का गठन।
- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) जे0जे0एक्ट 2000 जोकि वर्श 2015 में संषोधित किया गया है तथा 15.01.2016 से लागू है, के प्रावधान के अनुसार कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किषोरों को राषि उपलब्ध करवाने के उद्देष्य से किषोर न्याय कोश का गठन।

आई0सी0पी0एस0 के तहत बच्चों की दो व्यापक श्रेणियां

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे

- कानून का उल्लंघन करने वाले जो बच्चे जे0जे0 बोर्ड के माध्यम से किषोर न्याय प्रक्रिया में आते हैं उन्हें जे0जे0 एक्ट 2015 के तहत जांच होने तक रहने, देखभाल तथा संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा ओबजरवेषन होम में रखा जाता है।
- इसके अतिरिक्त जे0जे0 बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे जिन्हें लम्बी अवधि तक पुनर्वास दिया जाना होता है, को इस गृह में भेज जाता है। इन बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण हेतू राज्य सरकार द्वारा जे0जे0एक्ट 2015 के सैक्षन 47 के तहत 4 ओबजरवेषन होम (अम्बाला, हिसार, फरीदाबाद तथा करनाल) तथा सैक्षन 48 के तहत एक स्पैषल होम सोनीपत तथा लड़को के लिए करनाल में च्संबम वि िमिजल सैक्षन 49 के तहत चलाए जा रहे है। लड़कों के लिये एक स्पैषल होम, मधुबन करनाल में बनाया गया है।

जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व सुरक्षा

- समेकित बाल सरंक्षण योजना का उद्देष्य जरूरतमंद बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, विकास, पुनर्वास हेतू 82 बाल देखरेख सस्थायें (4 ओबजर्वेषन होम, एक स्पैषल होम, एक च्संबम वि िमिजलए 53 बाल गृह 15 ओपन षैल्टर होम तथा 8 विषेश अडोपषन एजेंसी)सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं।
- ये संस्थांए राज्य के 21 जिलों के 47 खण्डों जो कि लगभग 3500 बच्चों को कवर करती हैं। जरूरतमंद बच्चे जिन्हें देखभाल व संरक्षण की आवष्यकता होती है की देखेरेख बाल कल्याण समितियों द्वारा की जाती है।

बाल देखरेख सस्थायों का सुरक्षा तंत्र

बाल देखरेख संस्थायों की मैपिंग

- वर्श 2012 में सभी संस्थायों की मैपिंग करने उपरांत इन संस्थायों को नये जे.जे. एक्ट 2015 की धारा 41 (1) के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था।

- वर्तमान में हरियाणा में 82 संस्थायें चलाई जा रही हैं। जिनमें से 4 ओबजरवेषन होम, 1 प्लेस ऑफ सेफ्टी, 15 ओपन षैल्टर होम 8 स्पेषलाईजड अडोपषन एजेंसी 1 स्पेषल होम है।

बाल देखरेख सस्थानों का पंजीकरण

- जिला प्रषासन द्वारा पंजीकरण हेतू सिफारिष की जाती है उन संस्थाओं को च्तवअपेपवदंस पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है
- 82 संस्थाओं में से 81 संस्थाओं को 5 वर्श के लिए पंजीकृत किया गया है तथा 1 संस्था के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।

बाल देखरेख संस्थाओं का मूल्याकंन तथा देखभाल

- निरीक्षण तथा रि़पोर्टिग के उद्वेष्य से राज्य तथा जिला स्तर पर निरीक्षण कमेटियों को दिनांक 27.07.2012 व 24.05.2017 अधिसूचित किया गया है।
- 192 राज्य तथा 748 जिला स्तरीय निरीक्षण वर्श 2012 से अब तक किये गये।.

प्रषिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम

- जे.जे. बोर्ड के सदस्यों, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों, जिला बाल संरक्षण ईकाईयों तथा आई.सी.पी.एस. के कार्यकर्ताओं तथा बाल देखरेख संस्थाओं के सदस्यों के लिए निपसीड, नई दिल्ली तथा मुख्यालय द्वारा विभिन्न प्रषिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- वर्श के दौरान निपसीड द्वारा 08 प्रषिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य सरकार द्वारा 13 प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012

- वर्श 2019–20 में माह जनवरी, 2019 से अक्तूबर, 2019 तक जिला बाल संरक्षण अधिकारियों द्वारा जागरूकता षिविरों का आयोजन।
- यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012 के तहत 5578 जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया गया व 399692 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

जे0जे0 व पोक्सो एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उठाए गए नए कदम

- बाल देखरेख संस्थाओं के परिसर में लगभग 1066 बच्चों को कौषल प्रषिक्षण।
- प्लेस ऑफ सेफ्टी का निर्माण व ओबजरवेषन होम फरीदाबाद व करनाल में निर्माणाधीन है।
- 4305 बच्चों को प्रायोजन स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित ।
- 329 बच्चों को फोस्टर स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित।
- अप्रैल 2013 से अबतक 341 बच्चों का दत्तक ग्रहण (267 देष में व 74 विदेष में)
- अब तक 137 कैडल पोईंट स्थापित। जिनमें 30 से ज्यादा बच्चे अब तक प्राप्त हुए।
- 207 बच्चों को आफटर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया।
- अब तक राज्य स्तर पर 37 प्रषिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है।
- 1098 के पोस्टरों को प्रदर्षन राज्य के सभी बाल देखरेख संस्थाओं में।
- दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता पिता नामक पुस्तिका तैयार की गई।
- पोक्सो अधिनियम पर आधारित सांप सीढ़ी को प्रयोग बाल देखरेख संस्थाओं, स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में।

- पोक्सो कीट।

3 किषोरियों से संबंधित योजनाएं

किषोरी बालिकाओं के लिये योजनाः–

- भारत सरकार द्वारा योजना का दिनांक 02.04.2018 से सार्वभौमिक किया गया है।
- **लाभपात्र–** 11–14 वर्श स्कूल न जाने वाली बालिकाएं। 1. स्व–विकास एवं सषक्तिकरण के लिए किषोरियों को सक्षम बनाना।
- **उद्देश्य–**

1. उनकी पोशण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
2. स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोशण के प्रति जागरुकता प्रदान करना।
3. स्कूल छोड चुकी किषोरियों को अनौपचारिक अथवा सेतु अधिगम/कौषल प्रषिक्षण में फिर से सफलतापूर्वक लाने में सहायता करना।
4. गृह आधार कौषलता एवं जीवन कौषलता को बढ़ावा ।
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी एच सी), डाकघर, बैक, पुलिस स्टेषन इत्यादि के बारे में जानकारी/मार्गदर्षन प्रदान करना।

- सर्वे के आधार पर 4766 लाभार्थियों की पहचान की गई है। जिसमें से 3857 को पूरक पोशाहार दिया।

4 महिलाओं के कल्याण, सषक्तिकरण तथा संरक्षण से संबंधित योजनाएं

हरियाणा राज्य महिला आयोग

- हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 को पास करके उसे वैधानिक दर्जा प्रदान।
- आयोग को महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में समन जारी करने, उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करवाने, षपथ–पत्र पर साक्ष्य मंगवाने, गवाहों एवं दस्तावेजों की जांच करने के उददेष्य से दिषा–निर्देष देने जैसे सिविल कोर्ट के सभी अधिकार दिये।
- वर्श 2019–20 में आयोग को 822 षिकायते प्राप्त हुई जिनमें से 300 षिकायतों का निपटान किया गया।

तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना

- योजना के तहत पीड़िता सरकारी/सरकार द्वारा अनुमोदित हस्पताल में निःषुल्क उपचार की पात्र।
- 1.00 लाख रू0 की तदर्थ सहायता तथा सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी हस्पताल से मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
- योजना के तहत अब तक **15** तेज़ाब से पीड़ित **महिलाओं व 1 बच्चे** को लाभान्वित किया व **6.55 लाख** रूपये की राषि व्यय।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम, 2006 के अनुसार जिला स्तर पर 21 संरक्षण–सह–बाल विवाह प्रतिशेध अधिकारी नियुक्त।
- सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मैडीकल सुविधा देने के लिए एवं 2 षैल्टर होमज को आश्रय सेवाओं के लिए अधिसूचित किया।

- सितम्बर, 2019 तक भौतिक प्रगति निम्न प्रकार से है:–

विवरण	प्राप्त षिकायतें	षिकायतों का समाधान
घरेलू हिंसा अधिनियम	4716	2504
बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम	203	134

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

- 34 आन्तरिक एवं 22 स्थानीय षिकायत समितियों का गठन।
- षिकायत प्राप्त करने के लिए हैल्पलाईन पोर्टल।
- सी0 बोक्स पर 29 षिकायतें प्राप्त जिनमें से 17 षिकायतों का निपटान, 3 स्थानीय कमेटी को भेजी, 1 पुलिस को तथा 2 प्रक्रिया में व 6 लम्बित।
- विभिन्न विभागों के साथ 19 कार्यशालाएं आयोजित हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी कर्मचारियों को जागरूक किया।

कामकाजी महिला आवास

- **उद्देष्य–** कामकाजी महिलाओं को किफायती दरों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना।
- **पात्रता–** कामकाजी महिला जो अकेली हो, विधवा, तलाकषुदा, सम्बन्ध विछेद, विवाहिता परन्तु उसका पति या परिवार के अन्य सदस्य उसी षहर में न रहते हों तथा महिला जो एक वर्श से अधिक कार्य प्रषिक्षण पर हो।
- 8 महिला आवास राज्य में संचलित– रोहतक (2), हिसार, पंचकूला, जीन्द, कुरूक्षेत्र, गुरूग्राम व फरीदाबाद।

विधवा एंव बेसहारा गृह (महिला आश्रम) करनाल एंव रोहतक

- विधवा एंव बेसहारा महिलाओं को आवास तथा रख–रखाव तथा ट्रेनिंग हेतू वर्तमान में महिला आश्रम करनाल तथा रोहतक में चलाए जा रहे हैं।

क्र. सं.	महिला आश्रम का नाम	क्षमता	परिवारों की संख्या	आश्रितों की संख्या	कुल सदस्य
1	करनाल	72	41	35	76
2	रोहतक	116	38	34	72
	कुल	**188**	**79**	**69**	**148**

हरियाणा उत्तर रक्षा गृह कन्या, करनाल (नारी निकेतन)

- **उद्देष्य**– लड़कियों/महिलाओं जिनका कोई साधन न हो, को संस्थागत देखभाल, सरंक्षण, सामाजिक सुरक्षा, रखरखाव, षिक्षा और प्रषिक्षण प्रदान करना।
- वर्तमान में नारी निकेतन में 65 सवांसियों की क्षमता के विरुद्व 71 सवांसी रह रहे है।
- जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक परामर्ष समिति का गठन किया गया है ताकि संस्था का विभिन्न प्रषासनिक विशयों पर मार्गदर्षन किया जा सके।

स्टैट रिसोर्स सैंटर फॉर वूमन

- **उद्देष्य**– महिलाओं के सषक्तिकरण से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों, लिंग संवदेनषील कार्यक्रमों, कानूनों और योजनओं को प्रभावी रूप से लागू करना।
- मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और विधानों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। भारत सरकार द्वारा संषोधित के दिषा निर्देष अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढाओं स्कीम के अन्तर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करना, वन स्टॉप सैंटर को लागू करने में सहायता करना, लिंग संवेदनषीलता, किषोरी षक्ति योजना, महिला हैल्प लाईन तथा राश्ट्रीय पुरस्कार संबंधी विशयों पर कार्यवाही करते हुये तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के साथ अभिसरण के माध्यम से राज्य कार्य योजना (यौन और लिंग आधारित हिंसा) को तैयार किया गया था।
- समाज के कमजोर वर्ग के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार की गई।
- हरियाणा राज्य में 03.12.2018 से महिला हैल्पलाईन 181 क्रियाषील है, कुल 9624 कॉल प्राप्त हुई जिसमें से 1114 महिलाओं से संबंधित प्रभावी कॉल थी।
- महिला शक्ति केंद्र को हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने और जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करेगी।

ग्रामीण महिलाओं के लिए खेल कूद प्रतियोगिता

- **उद्देष्य**– ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर प्रदान करना।
- **30 वर्श आयु से ऊपर की महिलाओं**– आलू दौड़, मटका दौड़ तथा 100 मीटर दौड़
- **30 वर्श आयु से कम की लड़कियों/महिलाओं–** 300 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ तथा 5 कि0मी0 साईकलिंग।
- **पुरस्कार विवरणः–**

स्तर	स्थान	पुरस्कार राषि
खण्ड	प्रथम, द्वितीय, तृतीय	2100/–रूपये, 1100/–रूपये, 750/–रूपये
जिला	प्रथम, द्वितीय, तृतीय	4100/–रूपये, 3100/–रूपये, 2100/–
राज्य	प्रथम, द्वितीय, तृतीय	11000/–रूपये, 8100/–रूपये, 4100/–रूपये

5 पुरस्कारों से संबंधित योजनांए

महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार

- यह अवार्ड अंतराश्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों मे अनुकरणीय कार्य करने पर महिलाओं को प्रदान किये जाते है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.सं.	अवार्ड का नाम	अवार्ड की राषि
1	इन्दिरा गांधी महिला षक्ति अवार्ड	1.50 लाख रू0
2	कल्पना चावला षौर्य अवार्ड	1.00 लाख रू0
3	बहिन षन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड	1.00 लाख रू0
3	लाईफ टाईम अचीवमैंट अवार्ड	51,000/– रू0

4	वुमैन आउटस्टैडिंग अचिवरस अवार्ड	21,000/– रू0 (प्रत्येक)

घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार

- लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिले को प्रतिवर्श प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमषः 5.00 लाख रू0, 3.00 लाख रू0 तथा 2.00 लाख रू0 दिया जाता है।

पोशण स्तर में सुधार के लिये जिला स्तर पर न्युट्रिषन अवार्ड

- हरियाणा में बच्चों में कुपोशण को कम करने, पोशण तथा स्वास्थ्य स्तर में बढ़ौतरी करने के उद्देष्य से न्यूट्रीषन अवार्ड वर्श 2006–07 में स्थापित किये गये जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर जिलों को क्रमषः 2.00 लाख रु0, 1.00 लाख रू0 तथा 50,000/–रू0 के न्युट्रिषन अवार्ड दिये जाते है।

सर्वोतम माता पुरस्कार

- **उद्देष्य**– महिलाओं को अपने बच्चों विषेशकर लड़कियों के उचित पालन–पोशण के लिये प्रोत्साहित करना।
- खण्ड़ स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमषः 4000/–, 3000/– और 2000/–रू0 तथा सर्कल के स्तर पर क्रमषः 2000/–रू0, 1200/–रू0 और 800/–रू0 के अवार्ड।

किषोर बालिकाओं को पुरस्कार

- इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय षिक्षा बोर्ड की मैट्रिक तथा 10+2 कक्षा की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को पुरस्कार में दिए जाते हैं।
- अब (दिनांक 08.02.2019 से) यह पुरस्कार षहरी क्षेत्रीय की किषोरी बालिकों को भी दिया जायेगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जानी वाली राषि में बढ़ोतरी की है। इस योजना के तहत दिये जाने वाली पुरस्कार राषि को बढ़ाया गया है जोकि निम्न प्रकार से है :–

कक्षा	पुरस्कार राषि		
	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार
मैट्रिक कक्षा	8000रु.	6000रु.	4000रु.
10+2 कक्षा	12000रु.	10000रु.	8000रु.

.....